(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–।। खंड–3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांकः मार्च, 2016

सा.का.नि..... (अ) यतः भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिनांक 31 जुलाई, 2015 के सा.का.नि. 607 (अ) में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप–धारा (1) के तहत अपेक्षानुसार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग–।।, खण्ड–3, उप–खण्ड (।।) दिनांक 31 जलाई, 2015 के द्वारा कुछ नियमों के प्रारूप ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए गए थे जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी और नोटिस दिया गया था कि उक्त प्रारूप नियम, इन नियमों के सरकारी राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे और यतः उक्त राजपत्र को तदनुसार 31 जुलाई, 2015 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था।

और यतः जनता से प्राप्त आपत्तियों/सुझाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अतः अब केन्द्र सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः

नियम

(1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये नियम दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में,

(क) नियम 6 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"6. प्रवेश शुल्क– पंद्रह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति संरक्षित स्मारक या उसके किसी हिस्से में :–

(क) द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में श्रेणी 'क' के रूप में निर्दिष्ट किसी भी संस्मारक में निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर प्रवेश नहीं कर सकताः–

(i) भारत के नागरिक तथा सार्क देशों के पर्यटक (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड) और भारत के प्रवासी नागरिक ..... 30/–रू0 प्रति व्यक्ति,

(ii) अन्य (उपरिल्लिखित देशों के नागरिकों के अलावा अन्य सभी देशों के नागरिक)... 500/– रू. प्रति व्यक्ति

(iii) अन्य (उपर्युक्त ii के अनुसार) ..... 750/– रू. प्रति व्यक्ति;

बशर्ते कि उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों के लिए 750/रू. का टिकट वैकल्पिक है। यह टिकट धारक को महानिदेशक द्वारा समय–समय पर आदेशित यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाओं का हकदार बनाएगा।

(ख) निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर द्वितीय अनुसूची के भाग ।। में श्रेणी 'ख' के रूप में निर्दिष्ट स्मारकों में प्रवेश नहीं कर सकता :–

"(i) भारत के नागरिक और सार्क देशों के पर्यटक (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड) और भारत के प्रवासी नागरिक ..... 15/–रू0 प्रति व्यक्ति,

(ii) अन्य (उपरिल्लिखित देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों के लिए) ..... 200/–रू. प्रति व्यक्ति

(iii) अन्य (उपर्युक्त (ii) के अनुसार) ..... 300/– रू. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों के लिए 300/रू. का टिकट वैकल्पिक है। यह टिकट धारक को महानिदेशक द्वारा समय–समय पर आदेशित यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाओं का हकदार बनाएगा।

आगे यह प्रावधान है कि 750/रू., 500/–रू. 300/–रू, और 200/–रू. के टिकट धारकों के लिए अलग कतार हेगी।

(ख) नियम 44 में उप–नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः

"(1) नियम 43 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर महानिदेशक शुल्क अदा किए जाने पर निम्नलिखित रूप में लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं :

(क) विश्व विरासत स्मारकों में फिल्म बनाने के लिए 50,000/– रू. प्रत्यर्पणीय सुरक्षा जमा राशि सहित 1,00,000/रू.– प्रति दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक)

(ख) अन्य स्मारकों फिल्म बनाने के लिए 10,000/–रू. प्रत्यर्पणीय सुरक्षा जमा सहित 50,000/–रू. प्रति दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक)

व्यावसायिकों और अन्य एजेंसियों के मामलों में, यदि वे ऐसा समझते है कि मांगा गया लाइसेंस नहीं प्रदान करना चाहिए तो कारणों को अभिलेखित करते हुए लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं।

बशर्ते कि महानिदेशक, किसी भी संरक्षित स्मारक के अंदरूनी भागों को अर्थात् किसी संरक्षित स्मारक के किसी ऐसे भाग को जो किसी प्रकार के वर्णन वाली छत से आच्छादित हो, फिल्माए जाने के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन यदि फिल्म का उद्देश्य शिक्षाप्रद हो या स्मारक की लोकप्रियता को बढ़ाना हो, तो लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

(फा. सं. 9/3/2012–एम)

(राकेश तिवारी)
महानिदेशक

फुट नोट : प्रधान नियम, दिनांक 15 अक्तूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–।। खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में सा.आ. 2036 द्वारा पृ. 519–525 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थेः

(i) संख्या का.आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966